श्री अजित सिंह : अम लाइटली नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला है ।...(**व्यवधान**)....

श्री सभापति: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वह बाद की बात है। लेकिन यह सबसे बडी सुप्रीम संस्था है । आपकी गवर्नमेंट है, कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए ।

श्री प्रेम गुप्ताः मान्यवर, कल टी0 वी0 में एक प्रोग्राम था जिसमें नाइजीरिया के गांव में टुविन पैदा होते हैं हर घर में । कल ही प्रोग्राम था।

श्री सभापतिः जिनके बच्चे न हों उस ग्राम में भेज दो ।

श्री प्रेम गुप्ता : सर, यह रिलेवेंट चीज हैं । उसमें उन्होंने बताया कि वहां की वेजिटेबिल में मिनरल और केमिकल्स की वजह से ही यह होता है ।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहलः जब तक कोई बंदोबस्त नहीं होता है तब तक वार्न तो किया जाए दूरदर्शन बगैरह के माध्यम से कि आज का क्या लेविल है ।

श्री अजित सिंहः मैंने आपसे कहा कि अवेयरनैस जरुरी है।

आदिवासी किसानों की बेदखली

*586. **श्रीमती सरोज दुबे** : ††

श्री मूल चन्द मीणा:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन संरक्षण के नाम पर बडी तादाद में छोटे आदिवासी किसानों को उनकी कृषि-भूमि से हटाने तथा उजाड़ने का कार्य किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी आजीविका के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने वन भूमि पर अतिक्रमणों को विनियमित किए जाने और इसके साथ-साथ अवैध अतिक्रमणकारियों की बेदखली के संबंध में सितम्बर, 1990 में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों को 3-5-02 और 30-0-02 को पुनः जारी किया गया जिसमें भारतीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को देखते हुए राज्य सरकारों/संघ शसित

†† यह प्रश्न सभा में श्रीमती सरोज दुबे द्वारा पूछा गया।

प्रदेशों से अनुरोध किया गया कि वे समयबद्व तरीके से वन भूमियों से अवैध अतिक्रमणकारियों को बेदखल करें ।

(ग)बेदखल करने की प्रक्रिया का परिचालनात्म्क पहलू और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास राज्य/संघ शासित सरकारों का उत्तरदायित्व है ।

Displacement of tribal farmers

*†586. SHRIMATI SAROJ DUBEY :††

SHRI MOOLCHAND MEENA:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state

(a) whether on the pretext of forest conservation, a large number of small tribal farmers are being displaced from their agricultural land;

(b) if so. the reasons therefor; and

(c) the arrangements being made by Government for their livelihood?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI DILIP SINGH JUDEV): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) and (b) The Central Government have issued detailed guidelines regarding regularization of encroachments on forest lands as well as eviction of in-eligible encroachers in September. 1990. These guidelines were reiterated on 3-5-2002 and 30-10-2002 w herein the State governments and Union Territories were requested to evict in-eligible encroachers from the forest lands in a time bound manner in view of the orders of the Supreme Court of India.

(c) The operational aspects of the eviction process and the rehabilitation of affected families are the responsibility of the State/Union Territory Governments.

श्रीमति सरोज दुबेः माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने "वन भूमि पर अतिक्रमणों को विनियमित " किए जाने के शब्द का प्रयोग किया है ।

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Saraj Dubey.

वे आदिवासियों के तथाकथित नेता हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो आदिवासी वन भूमि पर सदियों से रह रहे हैं वे अनाधिकृत कैसे हो गए । केन्द्र सरकार ने आदिवासियों के बारे में जो निर्मम घोषणा की है उसको लिए सहारा लिया गया है उच्चतम न्यायालय के वक्तव्य का/उच्चतम न्यायालय ने 23-11-2001 को वक्तव्य किया कि अरण्य के आंचल में आदिवसियों के वास का रेग्युलराइजेशन, नियंत्रंण किया जाए । उसी वक्तव्य को आदेश मानकर आपने 3-5-2002 को राज्यों के सचिव, वन्यपाल को पत्र लिख दिया कि अरण्य की भूमि पर कब्जा कर लिया जाए । महोदय, अतीत में अदालत...(**व्यवधान**)....

श्री सभापति : क्वेश्चन पर आ जाएं ।

श्रीमती सरोज दुबे: सर, ये सब उस प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम इनको यह बताएंगे कि अतीत में सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा आदिवासियों के पक्ष में ही आदेश पारित किया है उसको यह न मान कर एक वक्तव्य के आधार पर करोड़ो आदिवासियों को उजाड़ने का काम कर रहे है तो यह कहां का न्याय है । सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में समता के केस में अरण्य भूमि और वन सम्पदा आदिवासियों के अधिकार की स्वीकृति दे दी थी। अदालत ने यह भी कहा था कि वन सम्पदा से जो आय होगी उसे आदिवासियों के विकास पर खर्च किया जाएगा। सर, एक करोड़ आदिवासियों को उजाड़ने का प्रयास हो रहा है। केन्द्र सरकार कहती है कि यह राज्य सरकार का मामला है। मैं जानना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं, क्या वह केवल गरीब आदिवासियं को उजाड़ने का ही काम करेगी ?

श्री दिलीप सिंह जूदेव : सर, अपने देश का लगभग 19 प्रतिशत भाग वन से आच्छादित है । यह जो मसला है फोरेस्ट एन्क्रोचमेंट का, यह बडी गंभीर समस्या है और जैसे श्रीमती सरोज जी ने पूछा है, हम लोगों का टारगेट है कि यह जो 19 प्रतिशत वनों का क्षेत्र है उसको बढ़ा कर 33 प्रतिशत किया जाए । ये फोरेस्ट एन्क्रोचमेंट वे मामले बराबर आते हैं । सर, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पूरे देश में लगभग साढ़े तेरह लाख हेक्टेयर वनों पर एन्क्रोचमेंट है और 1980 में फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट आया। इसमें यह लिखा हुआ है कि 1980 तक के जितने मामले ऎसे हैं उनको रेगुलराइज किया जाए और उसके बाद से अब तक के जितने भी हैं उन पर कुछ भी नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बारे में आपने कहा है ...(**व्यवधान**)....

श्री सभापति: जो 1980 से पहले के हैं उनको रेग्युलराइज़ कर दिया गया है?

श्री दिलीप सिंह जूदेव: हां, सर, 1980 के पहले का करने का है ।

श्री सभापति: पहले का कर दिया गया ?

श्री दिलीप सिंह जूदेव : हां, इसका किया गया है, सर ।

MR. CHAIRMAN : Are you sure ?

श्री सरोज दुबे: माफ कीजिएगा सर, मंत्री जी मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं ।

श्री दिलीप सिंह जूदेवः आपकी बात का बिल्कुल जवाब दे रहे हैं । यह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बारे में आपको बता रहा हूं ।

श्रीमती सरोज दुबेः मैं एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो आदिवासियों के पक्ष में हैं गिना सकती हूं ।

श्री सभापतिः आप बोलने दीजिए । मंत्री जी पहली बार बोल रहे हैं ।

श्री दिलीप सिंह जूदेव: सर, इनसे तो हम लगातार बात करते रहते हैं ।...(**व्यवधान**).... आपका प्रश्न बहुत लम्बा है और विषय से हटकर है ।...(**व्यवधान**)....

श्रीमती सरोज दुबेः सर, मुझे आपका प्रोटैक्शन चाहिए ।

श्री दिलीप सिंह जूदेवः महोदय, बात यह है कि 1980 के पहले के जितने मामले हैं, उनको रेग्यूलराइज़ किया जाए । उसके बाद के जितने भी मामले है, वे किसी भी हालत में नहीं हो सकते । सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को देखकर उसके अनुसार उन पर विचार करना पड़ेगा ।

श्री सभापतीः ठीक है । नैकस्ट ।

श्रीमती सरोज दुबे: सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी है ।...(**व्यवधान**).... सर, आदिवासियों के साथ-साथ मुझे भी आपका प्रोटैक्शन चाहिए । मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है ।

श्री सभापति: मैं मानता हूं कि मामला बहुत गंभीर है ।...(**व्यवधान**)....

श्रीमती सरोज दुबेः महोदय, मंत्री जी का मेडन रिप्लाई है किन्तु एक करोड़ आदिवासियों को जो उजाड़ाजा रहा है, इस संबंध में कहीं तो अपने ह्दय में मंत्री जी सिंपैथी रखें क्योंकि अगर इतने आदिवासी उजड़ जाएंगे तो हमारे जंगल खत्म हो जाएंगे । जगंल की रखवाली आदिवासी करता है। जो ठेकेदार और वन काटने वाले लोग हैं , उनके खिलाफ तो आप लोग कोई कार्यवाही नहीं करते हैं , आदिवासियों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं और उनको उजाड़कर बेघर कर देना चाहते हैं। मंत्री जी अगर कुछ आश्वासन दे दें कि आदिवासियों की रक्षा की जाएगी तो बडी मेहरबानी होगी ।

श्री दिलीप सिंह जूदेवः हम लोगों ने तो जीवन का संकल्प बनाया है कि आदिवासियों के हितों के खिलाफ अगर कोई कुछ करेगातो उसके....

श्रीमती सरोज दुबेः इसीलिए तो अफसोस है । आप कहते हैं कि आप तो आदिवासियों से जुडे हुए हैं।

श्री दिलीप सिंह जूदेवः हमारा मंत्रालय इसी से संबंधित है और इसके लिए क ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम भी है । यह पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का भी मामला होता है । स्टेट गवर्नमेंट ने तीन कैटॉगरीज़ बनाई है कि जैसे कोई डिसप्यूट होता है तो उसमें फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स , रेवेन्यु के ऑफिशियल्स... इस तरह से एक कमेटी है ।

श्रीमती सरोज दुबेः इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को लिख दिया है कि अगर कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारी...

श्री सभापति: आप पहले उन्हें बोलने दो।

श्रीमती सरोज दुबे: यह आदिवासियों का सवाल है।

श्री सभापति: ठीक है प्रश्न संख्या 587।

कुमारी मैबल रिबैलो: सर, मुझे एक सप्लीमेंटरी पूछना था।

श्री सभापति: उन्होंने पहली बात उत्तर दिया है। उनका मेडन रिप्लाई है।

श्री प्रेम गुप्ता: मेडन रिप्लाई है, इसलिए उन्हें ग्रेस मिली है।

Gas-based Fertilizer Units

587. DR. T.SUBBARAMI REDDY :††
DR. M.N. DAS:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have prepared a list of gas-based fertilizer units which will be encouraged to raise production capacity;

(b) if so, the number of fertilizer units that have been allowed to raise the production capacity;

(c) whether any incentives will be provided to these fertilizer units; and

(d) if so, to what extent this decision will help to contain the subsidy outgo to production units thriving on Gold-Plating and reward the efficient play ers in the domestic market ?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SUKHDEV SINGH DHINDSA) :(a) to (d) A Statement is laid on the table of The House.

Statement

(a) to (c) The New Pricing scheme for urea units, which has come into effect from 1 -4-2003, envisages that there will henceforth be no capping on production of urea by the units. Under the Scheme, there shall neither be any reimbursement of the investment made by a unit for improvement in operations nor any mopping up of gains of the units as a result of operational efficiency. These principles are applicable uniformly to all the units.

(d) The issue of hidden capacity leading to undue gains by some of the urea units, which is commonly called as 'Gold Plating', has already been addressed and a communication dated 4.6.2002 on reassessed capacity of 20 urea units has come into effect from 1-4-2000.

---

††The question was actually asked on the floor of the House by Dr. T. Subbarami Reddy